न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/2 **दायरा दिनांक : 02.01.2023**

उनवान

राज.सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

कमला बाई पत्नी श्री बद्री उर्फ बद्रीदास जाति बैरागी निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री चन्द्रप्रकाश मीना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 20.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या –189/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट कमला बाई ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, व 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम लोलाहेडी तहसील अटरू में पुरानी खाता संख्या 58 की ख.नं. 179 का रकबा 4 बीघा एवं पुरानी खाता संख्या 109 ग्राम आमापुरा की ख.नं. 315 मि. रकबा 1 बीघा आराजी वादिया के पति बद्रीलाल उर्फ बद्रीदास के खाते में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय अटरू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2020 से वाद–वादिया आंशिक स्वीकार किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि ग्राम लोलाहेडी तहसील अटरू में आराजियात पुराना खाता संख्या 58 में वर्णित खसरा नं. 179 रकबा बीघा एवं वाके ग्राम आमापुरा की आराजी पुराना खाता संख्या 109 में वर्णित खसरा नं. 315 मिन 1 बीघा वादीया के पति बद्री उर्फ बद्री दास के खाते में दर्ज थी। जिस पर रेस्पो/वादीया ही काबित काश्त करती चली आ रही है। बाद सेटलमेंट नये खसरा नं. 87 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 101 रकबा 0.06

20-8-2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हेक्टर, खसरा नं. 102 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 103 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 104 रकबा 0.41 हेक्टर, खसरा नं. 105 रकबा 0.17 हेक्टर बनाये गये तथा पुराना खाता संख्या 109 की खसरा नं. 315 रकबा 1 बीघा जिसके नवीन खसरा नं. 142 रकबा 0.51 हेक्टर दर्ज किया गया हे। सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा बिना जांच पडताल किये अपूर्ण पेमाईश कर जानबूझकर गैरकानूनी रूप से रेस्पो./वादी के खाते में 0.25 हेक्टर आराजी कम कर नवीन खसरा नं. में दर्ज कर नाकाबिल काश्त गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर किस्म परिवर्तन कर दी। खसरा नं. 104 का 0.14 हेक्टर में से 0.25 हेक्टर रेस्पो/वादीया के खाते मे दर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि पुराने खसरा नं. 179 रकबा 4 बीघा रेस्पो/वादीया का नवीन रकबा 0.64 हेक्टर होता है जिसको नवीन खसरा नं. 87 रकबा 0.22 हेक्टर, भूमि रकबा कम करके रेस्पो/वादीया के खातेदारी में दर्ज कर दी। रेस्पो/वादीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89 व 91 आरटीएक्ट का वाद पेश किया गया है जिसका अधीनस्थ न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त दुरूस्ती बाबत् धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक था जो रेस्पो/वादीया द्वारा पेश नहीं किया गया है। केवल घोषणा का दावा पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा को निर्णित करन मे कानूनी भूल की है इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में तनकी 1, 2 ,3, 4 व 5 बनायी गयी। जिसका साबित करने का भार रेस्पो/वादीया पर था जिसको रेस्पो/वादीया ने साबित नहीं किया क्योंकि ग्राम आमापुरा के माल खसरा नं. 142 रकबा 0.51 हेक्टर पर हल्का पटवारी द्वारा पहुंचने पर खसरा नं. 315/142 रकबा 0.40 हेक्टर भूमि राजवंती पत्नी प्रेमचन्द जाति मीणा निवासी आमापुरा के नाम खातेदारी में दर्ज है। शेष खसरा नं. 142 रकबा 0.11 हेक्टर भूमि राजवंती पत्नी प्रेमचन्द जाति मीणा निवासी आमापुरा के कब्जे काश्त में है जिसको सुनवाई हेतु वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये उक्त वाद पर अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हुए उक्त वाद पत्र को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज होने योग्य है। तनकी नं. 4 में बिना खातेदार ही इन्द्राज दुरूस्त करने का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय व डिक्री पारित की है तथा तनकी नं. 5 जो अपीलांट/प्रतिवादी को साबित करनी थी अपीलांट/प्रतिवादी ने राजस्व रिकार्ड पेश करने पर भी उक्त तनकी अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णित कर रेस्पो/वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर गलत निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

20-8-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.11.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को इस वाद को सुनने का अधिकार नहीं था। रेस्पो./वादीया का धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत् वाद लाना चाहिए था। कमलाबाई खातेदार ही नहीं है। राजवंती को पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलांट की बहस पर मनन किया। मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। वादिनी द्वारा वाद पत्र में अनुतोष चाहा गया कि *"इन्द्राज दुरूस्त करके वाके माल लोलाहेडी का नवीन खसरा नं. 104 का रकबा 0.41 हेक्टर में से 0.08 हेक्टर कम करके एवं ख.नं. 105 का रकबा 0.17 हेक्टर कुल रकबा 0.25 हेक्टर के नवीन ख.नं. बनाकर वादिया के खाते दर्ज किया जावे।"*

वादिनी द्वारा ख.नं. 104 का रकबा 0.41 हेक्टर में से 0.08 हेक्टर को खाते दर्ज कराने का अनुतोष चाहा था एवं ख.नं. 105 का रकबा 0.17 हेक्टर का अनुतोष चाहा था लेकिन ख.नं. 105 गैरमुमकिन रास्ता (रिकार्ड एवं मौका अनुसार) होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिनी द्वारा चाहे गये अनुतोष से परे जाकर ख.नं. 104 का 0.25 हेक्टर वादिनी के खाते दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वांछित अनुतोष से परे जाकर वादिनी के खातेदारी मे आराजी दर्ज करना विधिविरूद्ध तथा त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है।

20-8-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ख.नं. 142 का रकबा 0.51 हेक्टर में से 0.16 हेक्टर का अनुतोष वादिनी द्वारा चाहा गया। ख.नं. 315/142 रकबा 0.40 हेक्टर राजवन्ती पत्नी प्रेमचन्द जाति मीणा के खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज होना तथा शेष ख.नं. 142 रकबा 0.11 हेक्टर भी राजवन्ती पत्नी प्रेमचन्द के कब्जे काश्त में होना पटवारी रिपोर्ट से प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में राजवन्ती पत्नी प्रेमचन्द को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था जो नहीं बनाया गया। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिनी द्वारा वांछित अनुतोष से परे जाकर अनुतोष देना विधिसम्मत् नहीं होने से एवं आवश्यक पक्षकारों को ना जोडने (Non Joinder of Parties) का दोष होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2020 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20-8-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा